उच्च शिक्षण संस्थाओं (एच ई आई) में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन एकोष्ठ (आई क्यू ए सी) की स्थापना एवं देखरेख हेतु निर्देशिका

परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में नवम्बर, 1956 में की गई। यह देश की विशिष्ट एकल अनुदान एजेंसी है जिसे दो उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं: (i) उच्च शिक्षण संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराना और (ii) उनके लिए मानकों का निर्धारण करना एवं देखरेख करना है।

यूजीसी के अधिदेश के अन्तर्गत विश्वविद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देना, और उनका समन्वय करना, शिक्षण के मानको का निर्धारण और उनकी देखरेख, विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं अनुसंधान; शिक्षा के न्यूनतम मानदण्डों के लिये विनियमों का निर्माण, महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयीस्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में विकास का अनुवीक्षण, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए अनुदानों का वितरण, संघ, राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना; केन्द्र एवं राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देना सम्मिलित है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में मानदण्डों के अनुवीक्षण हेतु यूजीसी ने अपने अधिनियम के अनुच्छेद 12 (सीसीसी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति (नैक) की स्थापना सितम्बर 1994 में एक स्वायत निकाय के रूप में किया है। नैक को देश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों के निष्पादन के मूल्याकंन, स्तर निर्धारण एवं प्रत्यायन का कार्य सौपा गया हैं। नैक की स्थापना एवं उसके द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन का उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति का है जिससे सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के उपांगों का अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं के लिए सशक्तिकरण किया जा सके।

नैक उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच गुणात्मक जागृति हेतु उन्हें प्रेरित कर रहा है जिससे उनका निरन्तर सुधार हो। नैक उच्च शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न संभागों के मध्य गुणवत्तापरक कार्य-संस्कृति का बीजारोपण कर रहा है, साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं के समस्त लाभ प्राप्तकर्ताओं/समूहों के साथ शिक्षण संस्थाओं में सांस्थानिक गुणवत्ता निर्धारण के प्रति जागरूकता में अभिवृद्धि कर रहा है।

नैक का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है जिससे वे शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार करने के लिए प्रयासरत रहें। मूल्यांकन का तात्पर्य उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं इसकी ईकाइयों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन है जो परिभाषित मानदण्डों का प्रयोग करते हुए स्व-अध्ययन और स्वपुनरीक्षण द्वारा सम्पादित होता है। प्रत्यायन का तात्पर्य नैक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से है जो पाँच वर्ष तक मान्य होता है। नैक यूजीसी 2 (एफ) एवं 12 (बी) के साथ-साथ गैर 2(एफ) और 12 (बी) एच ई आई को प्रत्यायित करती है।

उच्च शिक्षा के समस्त लाभप्राप्तकर्ताओं को उच्च शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता आश्वासन में पूर्ण सहभागिता एवं इसको बढावा देने हेतु प्रयास करना है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं एक ऐसी आंतरिक पद्धति का विकास करे जिसमे उनके द्वारा प्रदान की जानी वाली शिक्षा की गुणवत्ता संस्कृति की स्थापना, पोषण एवं अभिवृद्धि हो। यह महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता संस्कृति का आन्तरीकरण, संस्थाओं में गुणवत्ता की अभिवृद्धि में अमूल्य योगदान देगा। बाह्य गुणवत्ता निर्धारण की प्रभावकारिता का निर्धारण आन्तरिक सांस्थानिक गुणवत्ता व्यवस्था एवं प्रक्रिया की प्रभावात्मकता पर आधारित होगा।

नैक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनेक उच्च शिक्षण संस्थाओं ने अपने संस्थानों में प्रत्यायित गुणवत्ता पुष्टि गतिविधि के रूप में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई क्यू ए सी) को स्थापित कर किया है। इस दिशा में नैक का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि इन संस्थानों में आई क्यू एसी सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस सफलता के आधार पर 1 अप्रैल

2007 से नैक ऐसे पद्धति उपायों के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहा है जिससे कि प्रत्यायन पूर्व सभी संस्थाएं आईक्यू एसी की स्थापना करें जो गुणवत्तापरक कार्य संस्कृति का विकास करे एवं प्रत्यायन के कार्य को सुगम एवं सफल बनाए। यूजीसी ने इस पहल की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए यह नीतिगत निर्णय लिया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं (उ0शि0सं0) में आईक्यू एसी स्थापित किया जाय, और इसके लिए आयोग ने मौलिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।

विस्तार

1. सभी उ0शि0सं0 जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित है और/अथवा केन्द्रीय अधिनियम/ प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा निगमित हैं।
2. यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत समस्त उ0शि0सं0 जिन्हें मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
3. यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत सभी अन्य उ0शि0सं0 जिनमें सूचीगत/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय सम्मलित है।
4. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त अन्य सभी गैर 2(एफ) महाविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व के समस्त संस्थान।

भाग-क

उ०शि०सं० में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों (आईक्यूएसी) की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश

उ0शि0सं0 में गुणवत्ता चेतना के संवेग को बनाये रखना कठिन है। वास्तव में, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ सांस्थानिक स्तर पर गुणात्मक संस्कृति के निर्माण एवं उसे सुनिश्चित करने हेतु प्रविधि के रूप में ग्रहण की गई है। प्रत्येक उ0शि0सं0 में उपयुक्त संरचना एवं प्रक्रिया से युक्त एक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वसान प्रणाली होनी चाहिए। जिसमें लाभप्राप्तकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचिलापन निहित हो।

संस्थान के आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रविधि को "आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)" कहा जा सकता है जिसका अभिप्राय उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन एवं इसकी अभिवृद्धि हेतु योजना निर्देशिका का निर्माण, इसका क्रियान्यवन एवं प्रगति के मूल्याकंन से है।

आई क्यू एसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में उनके प्रयासों, संसाधानों; उपयों को सही दिशा में प्रणालीकृत करेंगी। यह प्रकोष्ठ संस्था में एक और श्रेणीबद्ध संरचना या अभिलेख रखरखाव ईकाई का रूप नहीं लेगी। यह संस्था के लिए एक सुविधाप्रदायी और सहभागी अंग के रूप में कार्य करेंगी। यह संस्था में निहित कमियों को दूर करने के लिए रणनीति का विकास करेंगीं, जिससे संस्था की गुणवत्ता में वृद्धि हो और यह सदैव उत्प्रेरक शक्ति का कार्य करेंगी।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ का गठन उच्च शिक्षण संस्था के प्रमुख की अध्यक्षता में होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यक्ष की सहायता के लिए एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। निदेशक इस प्रकोष्ठ के कार्य को अपने निर्धारित कार्यभार के अलावे करेगा या इस कार्य हेतु एक पूर्ण कालिक निदेशक का पद सृजित कर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है या एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को इस कार्य हेतु रिडिप्लाय किया जा सकता है।

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन निम्नवत होगा

(क) उ0शि0सं0 के प्रमुख ..... अध्यक्ष

(ख) पाँच (महाविद्यालय के संदर्भ में) अथवा आठ (विश्वविद्यालय के संदर्भ में) वरिष्ठ अध्यापक और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ..... सदस्य।

(ग) दो (महाविद्यालय के संदर्भ में) अथवा तीन (विश्वविद्यालय के संदर्भ में) गुणवत्ता प्रबंधन/ उद्योग/स्थानीय समुदाय बाहरी विशेषज्ञ ..... सदस्य।

(घ) आई क्यू एसी के निदेशक/समन्वयक..... सदस्य सचिव

उपर्युक्त (ख) एवं (ग) सदस्यों को उ0शि0सं0 अध्यक्ष द्वारा शैक्षिक निकाय के परामर्श के आधार पर नामित किया जायेगा। (विश्वविद्यालय) की शैक्षणिक परिषद् अथवा महाविद्यालय की शैक्षिक समिति) इन नामित सदस्यों की सदस्यता की अवधि दो वर्ष होगी। आई क्यू एसी की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होनी चाहिए। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों कि उपस्थिति से होगी। कार्यसूची, कार्यवृत्त एवं क्रियान्वित कार्य की रिपोर्ट को अधिकारिक हस्ताक्षर सहित प्रलोखित किया जाएगा एवं इसे इलैक्ट्रानिक सिस्टम पर उलपब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी जिससे आवश्यकता पड़ने पर पुन: प्राप्त किया जा सके।

उद्देश्य

1. उ0शि0सं0 के शैक्षिक और प्रशासनिक निष्पादन में सुधार हेतु चेतना, निरंतरता और उत्प्रेरक कार्यक्रम हेतु गुणवत्ता प्रणाली का विकास करना।
2. गुणवत्ता संस्कृति एवं संस्था में उत्तम कार्यव्यवहारों के संस्थात्मिकरण का आन्तरीकरण करते हुए गुणता अभिवृद्धि की दिशा में संस्थात्मक प्रकायों के लिए उपायों को बढ़ावा देना।

आई क्यू एसी के निम्नलिखित कार्य होगें:

* उ0शि0सं0 की विविध शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों हेतु गुणता बैचंमार्क/पैरामीटर का विकास और क्रियान्वयन करना।
* सहभागी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए वांछिक ज्ञान और तकनीकि को अपनाने हेतु गुणवत्ता शिक्षा एवं संकाय सदस्यों की सुसाध्यता के लिए विद्यार्थी केन्द्रित परिवेश के सृजन हेतु सुविधाओं को सुलभ कराना।
* विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा अन्य लाभप्राप्तकर्ताओं से गुणवत्ता संबंधित सांस्थानिक प्रक्रियाओं पर परिपुष्टियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
* उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक पैरामीटर के विषय में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।
* गुणवत्ता परत विषयों और गुणवत्ता चक्रों की अभिवृद्धि के विषय में कार्यशालाओं और

गोष्ठियों का संचय एवं इसके बाहर आयोजन करना।

* आ0शि0सं0 के विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों का प्रलेखीकरण करके गुणात्मक सुधार करना।

* गुणवत्ता सम्बन्धित गतिविधियों के समन्वय हेतु उ0शि0सं0 के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जिसमें अच्छे संव्यवहारों को ग्रहण करना और प्रचार-प्रसार करना सम्मलित है।

* सांस्थानिक गुणवत्ता को बनाये रखने एवं इससमें अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से एमआईएस द्वारा सांस्थानिक डाटा बेस का विकास करना और उसकी देखरेख करना।

* उ0शि0सं0 में गुणात्मक संस्कृति का विकास करना।

* निर्धारित प्रारूप में संबंध गुणवत्ता आश्वासन निकाय (जैसे नैक, एनबीए, एवी) द्वारा गुणात्मक पैरामीटर/निर्धारिक मानदण्ड पर उ0शि0सं0 की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) को तैयार करना।

* एक्यूएआर पर आधारित उ0शि0सं0 की विभिन्न इकाइयों के गुणात्मक रेडार (क्यू आर) और पदानुक्रम का द्वि-वार्षिक विकास करना।

* एसक्यूएसी के साथ, प्रत्यायन के पूर्व एवं प्रत्यायन के पश्चात, गुणवत्ता निर्धारण, पुष्टि और वृद्धि हेतु अन्तरक्रिया करना है।

अनुवर्तन

* आवश्यक गुणवत्ता अभिवृद्धि उपायों के लिए आवश्यक कार्य के अनुवर्तन हेतु उ0शि0सं0 के संविधिकनिकाय (जैसे सिंडिकेट, शासी परिषद् बोर्ड) एक्यूएआर, का अनुमोदित करेंगे।

* विश्वविद्यालय नियमित रूप से एक्यूएआर को नैक/ अन्य प्रत्यायन निकायों में जमा करायेगें। महाविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालयों राज्य स्तरीय गुणता आश्वासन निकायों, नाक/ अन्य प्रत्याक्षित निकायों में एक्यूएआर जमा करायेंगे।

* सभी उ0शि0सं0 एक्यूआर और/या गुणवत्ता स्तर (क्यूआरम) और अनुवर्तन रिपोर्टो को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जमा करायेंगे।
* आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा अपने संस्था की वेबसाइट पर एक विशिष्ट विन्डो बनाएगें जो इसके क्रिया-कलापों के बारे में नियमित रिपोर्ट देगें तथा गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

आई क्यू ए सी के लाभ

(क) गुणवत्ता समर्वधन की दिशा में संस्था के कार्यो के बारे में अधिकतम स्पष्टता एवं ध्यानाकर्षण को सुनिश्चित करना।

(ख) गुणवत्ता संस्कृति के अन्तकरणीयन को सुनिश्चित करना।

(ग) संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के मध्य वृद्धि एवं एकीकरण और अच्छे संव्यवहारों को स्थापित करने को सुनिश्चित करना।

(घ) संस्थानिक कार्यो में सुधार हेतु निर्णयन के आधार को सुदृढ़ बनाना।

(ङ) उ0शि0सं0 में गुणवता परिवर्तन हेतु गतिशील प्रणाली के रूप में कार्य करना।

संलग्नक

आईक्यू ए एसी की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) हेतु प्रारूप

संस्थान का नाम : ....

रिपोर्ट का वर्ष : ....

खण्ड क: गुणवत्ता वृद्धि हेतु आईक्यूएसी द्वारा वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत की गई कार्यवाही योजना (अगर आवश्यक हो तो अगल से पपेर संलग्न करें)

....

....

....

खण्ड क:

निम्नलिखित के विषय में विस्तृत जानकारी (अगर आवश्यक हो तो अगल से पेज संलग्न करें)

1. संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाने वाली गतिविधियाँ।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (यूजी एवं पीजी) नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों की पहल।
3. पाठ्यक्रम रूपरेखा एवं संव्यवहार में नवीनता।
4. अन्तर्विषेयिक कार्यक्रमों की शुरूवात।
5. परीक्षा सुधारों को लागू किया जाना।
6. नेट/स्लेट/गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. संकाय विकास कार्यक्रमों हेतु पहल।
8. अयोजित किए गये सेमिनारों/कार्यशालाओं की कुल संख्या।
9. अनुसंधान परियोजनाओं (क) जारी; (ख) पूर्ण हो चुकी
10. पेटेन्ट यदि काई हो।
11. नवीन सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम।
12. विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अनुसंधान अनुदान।
13. शोधार्थियों का विस्तृत विवरण।
14. संकाय सदस्यों का साइटेशन्स इन्डैक्स एवं प्रभावी कारकों की सूची को उल्लेखित करना।
15. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यों हेतु सम्मान/ पुरस्कार
16. सृजित आन्तरिक संसाधन।
17. सैप, कोसिस्ट (असिस्ट)/डीएसटी, फीस्ट एवं अन्य कार्यक्रमों से सहायता/मान्यता प्राप्त करने वाले विभागों का विस्तृत विवरण।
18. सामुदायिक सेवायें।
19. नये भर्त्ती किये गये अध्यापकों एवं अधिकारियों का ब्यौरा।

20. शिक्षक गैर-शिक्षक कर्मियों का अनुपात।

21. पुस्तकालय सेवाओं में सुधार।

22. नवीन पुस्तकों/शोध-पत्रिकाओं/पत्रिकाओं पर किये गये खर्च का ब्यौरा।

23. उन विषयों का ब्यौरा जिनमें अध्यापकों का विद्यार्थी निवपादन/मूल्याकंन आरंभ किया गया है। एवं विद्यार्थी प्रतिपुष्टि पर कार्यवाही रिपोर्ट

24. लाभप्राप्तकर्ताओं से प्राप्त प्रति-पुष्टि।

25. शिक्षा की एकक लागत।

26. प्रशासनिक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण एवं प्रवेश तथा परीक्षा परिणामों की प्रक्रिया तथा प्रमाण-पत्र जारी करना।

27. आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी।

28. प्रौद्योगिकी उन्नयन।

29. कम्प्यूटर-एवं इन्टरनैट की पहुँच तथा शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मियों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

30. विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना।

31. एल्यूमिनी संगठन की गतिविधियों एवं उनका समर्थन।

32. अभिभावक-शिक्षक संघ की गतिविधियों एवं उनका समर्थन।

33. स्वास्थ्य सेवाएँ।

34. खेल-कूद गतिविधियों में निस्पादन।

35. उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रोत्साहन।

36. विद्यार्थी उपलब्धि एवं पुरस्कार।

37. सलाह एवं परामर्श इकाईयों की गतिवधियाँ।

38. विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी गई प्लेसमेन्ट सेवाएँ।

39. गैर-शिक्षक स्टाफ हेतु विकास कार्यक्रम।

40. संस्था के अच्छे संव्यवहार

41. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, शैक्षिक/अनुसंधान निकायों के मध्य विकसित सम्पर्क।

42. एक्यूएआर की पिछले वर्ष की कार्यवाही रिपोर्ट।

43. कोई अन्य प्रासांगिक सूचना जिसे संस्थान देना चाहे।

खण्ड ग:

वर्षान्त उपलब्धियाँ (यदि आवश्क हो तो अलग पेपर का प्रयोग करे)

खण्ड (घ) अग्रिम वर्ष की योजनाएँ

.....

.....

.....

आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक
का नाम एवं हस्ताक्षर

आई क्यूएसी के अध्यक्ष
का नाम एवं हस्ताक्षर